

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल


// आदेश //

कमांक/एफ 44-27/2010/बीस-2

भोपाल दिनांक 20/04/2010

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कमांक/प्र स/2010/886 भोपाल दिनांक 16/04/2010 द्वारा मध्यप्रदेश में वर्तमान में तीव्रगर्मी की स्थिति के कारण राज्य की समस्त शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को भीषण गर्मी के प्रकोप से राहत देने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2010 से समस्त शासकीय शालाओं में छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। पत्र में शिक्षकों के संबंध में पृथक् से निर्देश जारी करने का उल्लेख किया गया है।


शिक्षकों के संबंध में राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों के लिए पूर्व में घोषित ग्रीष्मावकाश 01 मई 2010 से 23 जून 2010 के स्थान पर अब 21 अप्रैल 2010 से 13 जून 2010 तक रहेगा। अवकाश अवधि में जिन शिक्षकों को पाठ्यपुस्तक वितरण एवं पूरक परीक्षा इत्यादि के कार्य से विद्यालय में रोका जाता है उन्हें नियमानुसार अर्जित अवकाश की पात्रता होगी।


(एस. एन. शर्मा)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठांकन/ कमांक/एफ 44-27/2010/बीस-2
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 20/04/2010

1. सचिव, मुख्यमंत्री जी
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, म. प्र. शासन
3. निज सचिव, मान. मंत्री जी/राज्यमंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग
4. प्रमुख सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग
5. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
6. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल
7. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
8. समस्त संभागायुक्त म. प्र.
9. समस्त कलेक्टर म. प्र.
10. समस्त मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत म. प्र.
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण म. प्र.
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म. प्र.
13. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म. प्र.
14. सहायक आयुक्त, समस्त जिले आदिवासी विकास
15. समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान म. प्र.


अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग